तारीख हुक्म	न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.) रतन लाल जाट बनाम गोपाल लाल जाट किस्म मुकदमा निगरानी अंतर्गत धारा 97 रा. पं. राज नं. 44 सन् 2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24/12/25 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 25/02/26 को पेश हो। रीडर जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
25/02/26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि निगराकार संख्या 02 ब्रदीलाल पिता हजारी जाट निवासी केमुणिया ग्राम पंचायत रायपुर जिला भीलवाडा द्वारा पूर्व में दिनांक 24.09.2025 को स्वंय उपस्थित होकर पेश किया गया प्रार्थना पत्र शामिल मिसल है। प्रार्थना पत्र की प्रति गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता को दिलवायी जा चुकी है। निगराकार संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 59 मिसल संख्या 03 जारी किया गया जो विधि सम्मत किया गया। निगराकार संख्या 01 की मृत्यु दिनांक 14.05.2025 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। निगराकार संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजूदा निगरानी इसी स्तर पर समाप्त करायी जाने का आदेश प्रदान किये जाने निवेदन किया गया। निगराकार अधिवक्ता द्वारा निगराकर संख्या 01 की मृत्यु दिनांक 14.05.2025 को हो जाने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं ना ही पत्रावली पर निगराकार संख्या 01 की मृत्यु के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये। प्रकरण में वर्तमान स्थिति अनुसार निगराकार संख्या 01 जीवित नहीं है एवं उनके वैद्य वारिसान आदिनांक तक प्रकरण में संयोजित नहीं हुए है। लिहाजा निगराकार संख्या 02 द्वारा दिनांक 24.09.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। यह प्रकरण निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 खारीज की जाती है। ग्राम पंचायत रायपुर, पंचायत समिति रायपुर को मूल रिकॉर्ड मय आदेश की प्रति को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर कम होकर दाखिल दफ्तर रहे। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	